क्रम-संख्या—615

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 18 सितम्बर, 1978

भाद्रपद 27, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 2515/सत्रह-वि0-1—87-1978

लखनऊ, 18 सितम्बर, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 16 सितम्बर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1978)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ।)

संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

(2) यह 31 जुलाई, 1978 को प्रवृत्त समझा जायगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 8, सन् 1937 की धारा 3 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) और (1–क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं और स्पष्टीकरण रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

"(1) किसी आमोद के सभी प्रवेश शुल्कों पर एक कर (जिसे आगे आमोद कर कहा गया है) ऐसी दर से लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायेगा जो प्रत्येक ऐसे शुल्क के एक सौ दस प्रतिशत से अधिक न होगी और जिसे सरकार समय-समय पर विज्ञापित करे और वह कर मालिक द्वारा वसूल किया जायेगा और उसका भुगतान सरकार को नियत रीति से किया जायेगा।

(1–क) किसी आमोद के सभी प्रवेश शुल्कों पर ऐसी दर से अधिभार भी लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायेगा जो प्रत्येक ऐसे शुल्क के लिए पचास पैसे से अधिक न होगी और जिसे सरकार समय-समय पर विज्ञापित करे, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त ऐसा अधिभार आमोद-कर का अंश समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—उपधारा (1) और (1–क) की कोई बात सरकार को आमोद के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए आमोद-कर और अधिभार की भिन्न-भिन्न दरें विज्ञापित करने से प्रवारित नहीं करेगी।

(1–ख) जहां किसी आमोद में प्रवेश के लिए शुल्क तथा कर (अधिभार सहित, यदि कोई हो) का योग पच्चीस पैसे का गुणक न हो वहां, उपधारा (1) में या उसके अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, कर में ऐसी सीमा तक वृद्धि कर दी जायगी और उसकी गणना इस प्रकार से की जायगी कि आमोद में प्रवेश के लिए शुल्क तथा कर (अधिभार सहित) का कुल योग पच्चीस पैसे का अगला उच्चतर गुणक हो जाय और ऐसा बढ़ा हुआ कर भी मालिक द्वारा वसूल किया जायगा और उसका भुगतान सरकार को नियत रीति से किया जायगा।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।]

No. 2515(2)/XVII-V-1—87-1978

Dated Lucknow, September 18, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Amod tatha Pankar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Ahdiniyam Sankhya 24 of 1978) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 16, 1978:

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX (AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. Act No. 24 of 1978]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Entertainments and Betting Tax Act, 1937

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1978.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 31, 1978.

2. In section 3 of the United Provinces Entertainments and Betting Tax Act, 1937, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-sections (1) and (1-A), the following sub-sections and explanation shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 3 of U.P Act no. 8 of 1937.

"(1) There shall be levied and paid on all payments for admission to any entertainment, a tax (hereinafter referred to as entertainment tax) at a rate not exceeding 110 per cent of each such payment, as the Government may, from time to time, notify, and the tax shall be collected by the proprietor and paid to the Government in the manner prescribed.

(1-A) There shall further be levied and paid on all payments for admission to any entertainment, a surcharge at a rate not exceeding 50 paise for each such payment, as the Government may, from time to time, notify, and such surcharge shall be deemed to be nart of the entertainment tax for the purposes of this Act.

Explanation—Nothing in sub-sections (1) and (1-A) shall preclude the Government from notifying different rates of entertainment tax and surcharge for different classes of entertainment.

(1-B) Where the payment for admission to an entertainment together with the tax (including surcharge, if any) is not a multiple of twenty-five paise, then notwithstanding anything contained in sub-section (1) or any notification issued thereunder, the tax shall be increased to such extent and be so computed that the aggregate of such payment for admission to entertainment and the tax (including surcharge) is rounded off to the next higher multiple of twenty-five paise, and such increased tax shall also be collected by the proprietor and paid to the Government in the manner prescribed."

U.P. Ordinance no. 16 of 1978. 3. (1) The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Ordinance, 1978, is hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the aforesaid Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA
Sachiv.

आर०पी०—ए०पी० 246 सा० (विधा०)—18-9-78—(2143)—1978—650 (मेक०) ।